1	2	3	4	5	6
3. फुटवीयर (मुख्यतः जूते)	128.03	130.17	171.43	210.44	360
4. फुटवीयर संघटक	323.83	425.62	518.25	609.96	975
5. चमड़ा परिधान	105.72	166.15	332.88	579.20	675
6. चमड़े का सामान	128.17	191.55	292.88	408.62	450
	1244.85	1608.37	2030.03	2577.81	3210

(स्रोत: चमड़ा निर्यात परिषद्)

उपयुक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि हाल के वर्षों में चमड़े का निर्यात स्थिर रहा है जबकि जूतों सहित फुटवीयर के निर्यात में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

पारगमन और वितरण के दौरान विद्युतीय हानि को रोकने के लिए एक निगम का गठन

*28. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री 17 मार्च 1992 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 282 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पारगमन और वितरण के दौरान विद्युत की हानि को रोकने के लिए हाल में एक अलग निगम स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक देश में विद्युत के पारगमन और वितरण के दौरान होने वाली विद्युत-हानि को कितना कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) सम्बद्ध विभागों द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उन पर कितनी राशि खर्च होगी

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन०पी०टी०सी०) को 23 अक्तूबर, 1989 को 5000 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया था जिसका उद्देश्य केन्द्रीय क्षेत्र के विभिन्न विद्युत उत्पादन स्रोतों से किसी क्षेत्र के अन्दर और इससे बाहर क्षेत्रों के भार केन्द्रों तक विश्वसनीयता सुरक्षा एवं किफायती तरीके से वृहत मात्रा में विद्युत का अन्तरण किए जाने की दृष्टि से पारेषण प्रणाली और सम्बद्ध उपकेन्द्रों का समन्वित एवं कुशलता से निर्माण करना है। राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम का स्थापित किया जाना किसी सीमा तक पारेषण हानियों को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम केवल केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों की ग्रिडों को विद्युत का पारेषण करता है तथा राज्य के अन्तर्गत आगे विद्युत का आबंटन करना सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड का दायित्व होता है। राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों में वितरण स्तर पर अत्याधिक हानियां होती हैं। इस प्रकार की पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :-

(1) अत्याधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत घटकों का पता लगाने के लिए राज्य

बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किया जाना ;

(2) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें बनाना ;

(3) केपेसिटर्स अधिष्थापित करना, राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों की विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा पद्धति लागू करना ;

(4) ऊर्जा की चोरी को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है; और

(5) पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम लागू करना ।

राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा इन उपायों का प्रभावी रूप से क्रियान्वय किया जाना, परिषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने में सहायक सिद्ध होगा ।

Losses suffered by Indian Airlines due to operation of Air taxis

*29. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether private air taxis operate on many revenue earning routes in the country;

(b) if so, what is the loss suffered by the Indian Airlines as a result thereof; and

(c) what are the reasons for which private taxis were permitted to operate on such routes?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) It is not possible to calculate the loss, if any, suffered by Indian Airlines at this stage since actual air taxi operations have started recently.

(c) The scheme of air taxi operation was introduced in order to augment the domestic air traffic capacity.

Interest rate on borrowings by small scale Industrial Units and individual House Builders

*30. SHRI YASHWANT SINHA:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the rate of interest charged by banks on borrowings by small scale Industrial Units and individual house builders;

(b) whether interest is calculated every three months and the quantum of compound interest worked out annually;

(c) whether higher rate of interest continues to be charged on the original amount of loan of say Rs. 3 lakhs even though the capital amount might have been reduced to Rs. 2 lakh and below; and

(d) whether this massive levy of interest will help accelerate industry and house building in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The structure of lending rates of the commercial banks has been linked with the size of the loan with effect from 22nd September, 1990. However,